FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अदालत — मुकाम

पेमाराम बनाम नगाराम कोगा

नाम मुकदमा धा. 91ढ 88, 53, 188 RT Act न. 24 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.2.17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ......[illegible]...... ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा ...88, 53, 188... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...17.4.2017... को पेश हो। [initials]	
17/04/17	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / प्रतिवादीगण बावजूद तामील गैरहाजिर / न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 15/05/17 को पेश हो। [initials]	
15/05/17	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के [illegible]। [illegible] पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल [illegible] रखकर आगामी दिनांक 08/08/17 को पेश हो। [initials]	

Scanned by CamScanner

(2)

08/08/17 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्थ होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 29/11/17 को पेश हो।

29/11/17 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी साक्ष्य अनुपस्थित। फाईल पेश करना चाहते है। वादी वकील द्वारा वास्ते फोतगी सूचना एंव नाम रेकॉर्ड से हटाने बाबत वास्ते वादी संख्या-7 जो लाऔलाद फौत हो चुका है। वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि वादी संख्या-7 श्री गंगाराम पुत्र देवाराम का कुछ समय पूर्व स्वर्गवास हो चुका है जिसके कोई जाईन्दा औलाद नहीं है। जिनका नाम वाद से विलोपित किया जावे। अत: वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी संख्या-7 का नाम वाद में से विलोपित किया जाता है। अत: पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 22/02/18 को पेश हो।

22/02/18 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते धारा 53 RTAct वाद से हटाने बाबत का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम वादीगण उक्त वाद में विभाजन नहीं करना चाहते है व धारा 53 RTAct को विड्रो करना चाहते है। अत: वाद में से धारा 53 RTAct विड्रो की जाकर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 27/03/18 को पेश हो।

27/03/18 वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 से PW-4 साक्ष्य के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी साक्ष्य बन्द किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/04/2018 को पेश हो।

श्रीराम

बहुक्म 11/04/

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/04/18	वादी वकील व वादी स्वयं उपस्थित। वादी वकील बहस फाईनल करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली फाईनल दिनांक 22/05/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	श्रीराम कुल्ल मोहर गोकलराम
22/05/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सवाऊ मूलराज में रखी गई। वादी वकील उप०। वादी वकील बहस फाईनल करना चाहते है। अवसर दिया जाकर, पत्रावली फाईनल दिनांक 24/07/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/07/18	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनु०। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 मुलवाली देवाराम के वंशज एवं उत्तराधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के कदीमी एवं पूर्वपुरुषों की सहखातेदारी एवं कब्जा-काश्त के खेत खसरा नम्बर-249 रकबा-38.12 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 2.32 रुपये ग्राम लियाणी श्रीवाणी पटवार मण्डल-हीरा की ढाणी तहसील-गिड़ा में आया हुआ है। जिसमें वादी संख्या-1 से 4 का 1/7 हिस्सा और वादी संख्या 5 का 1/7 हिस्सा एवं वादी संख्या 6 का 1/7 हिस्सा और वादी संख्या-7 का 1/7 हिस्सा एवम प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (4)	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा प्रतिवादी संख्या- 2 से 5 का 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1/7 हिस्सा है जिसकी घोषणा हेतु वादीगणों द्वारा यह वाद पेश किया गया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, वादी वकील द्वारा बताया कि वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर- 249 रकबा- 38.12 बीघा वक्त बंदोबस्त राजस्व गांव सवाऊ मूलराज तहसील- बाड़मेर में मुतवफी देवा पुत्र हिमता की मिलकियत का था। मु० देवा पुत्र हिमता के जीवनकाल में बंदोबस्त अधिकारीयों ने कलमी भूल से मुतवफी देवाराम के नाम पर्चा जारी नहीं कर मुतवफी देवाराम के सातों पुत्रों की बजाय केवल भूराराम एवं भगाराम पि० देवाराम के नाम जारी कर दिया। भूराराम के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तथा भगाराम के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या-1 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि देवा के उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-6 काबिज थे। बाड़मेर से नई तहसील बायतु एवं बायतु से नव सृजित तहसील- गिड़ा बनने और राजस्व गांव सवाऊ मूलराज से नया राजस्व गांव सियागों की ढाणी बनने पर वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर - 249 रकबा- 38.12 बीघा राजस्व गांव सियागों की ढाणी तहसील- गिड़ा में अवस्थित हुआ है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 से 6 के साथ सहखातेदार हकूक घोषित करवाने के अधिकारी है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 से 6 अपने सहखातेदारी के साथ प्रत्येक थोक के अनुसार 1/7-1/7 हिस्सा की खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वर्षात होने पर वादीगण को आने बंद

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(5)	

की भूमि पर काश्त करने में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने वादीगण के कब्जा-काश्त एवं लेने बाबत तनाजा कर वादीगण को काश्त करने से मना किया और वादीगण को बेदखल करने की धमकियां दी और वादग्रस्त खेतान किसी अजनबी क्रेता को बेचने पर आमादा हुए तो वादीगण हल्का पटवारी के पास गये और वादग्रस्त खेतान की जमाबंदी ~~नकली~~ नकल ली तब सर्व प्रथम वादीगणों को वादग्रस्त खेतान में अपने नाम खातेदारी दर्ज न होने का ज्ञान हुआ तब-तब बमुकाम सियागों की ढाणी तहसील गिड़ा में पैदा हुआ। कि प्रतिवादी संख्या-7 के अधीन प्रतिवादी संख्या-1 की भूमि रहन रखी गई होने से एवं प्रतिवादी संख्या-8 तहसीलदार गिड़ा बांटवाड़ा के वाद में भूमिपति होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। परन्तु इनके विरुद्ध कोई प्रार्थना नहीं चाही गई होने से बिना धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये वाद पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी संख्या-7 की फौतगी सूचना पेश कर निवेदन किया गया की वादी संख्या-7 का फौलाराम फौत हो चुका है जिसका नाम वाद से विलोपित किया जाने का निवेदन किया गया व संशोधित शीर्षक पेश किया गया। वादी वकील के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी संख्या-7 का नाम वाद से विलोपित किया गया व संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया। वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में pw-1 से pw-4 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत वादी साक्ष्य के शपथ-पत्रों pw-1 से pw-4 में निवेदन किया गया की उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा-सियागों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर-249 रकबा-38.12 बीघा का आया हुआ है जो वादीगण व प्रतिवादीगणों का पैतृक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व. डेवाराम के पुत्र एवं पौत्र है तथा स्व. डेवाराम के सात जायन्दा पुत्र है।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	(6)	
	कि वक्त सेटलमेन्ट देवाराम स्वयं जीवित थे तथा देवाराम के जीवनकाल में ही सेटलमेन्ट अधिकारियों ने उक्त खातेदारी आराजी में देवाराम के सातों पुत्रों का नाम न लिखकर देवाराम के दो पुत्रों मगाराम व भूराराम का नाम गलत दर्ज कर दिया गया लेकिन उक्त खातेदारी आराजी में देवाराम के सातों पुत्रों का बराबर-बराबर का हिस्सा बनता है। कि देवाराम के अन्य जगह की खातेदारी के खेत ख.नं. 250, 251, 296 कुल रकबा - 198.01 बीघा के आये हुए है उक्त खेतों में देवाराम के सातों पुत्रों का बराबर-बराबर का रेकर्डेड हिस्सा है। देवाराम के सातों पुत्रों में से वादी संख्या 7 गंगाराम का ला-औलाद स्वर्गवास हो चुका है अब उक्त भूमि में खातेदारों का 1/7 की जगह 1/6 वां हिस्सा बनता है इसलिए मौजा- लियागों की ढाणी (सिवाऊ हलका) के खेत खसरा नम्बर - 249 रकबा - 38.12 बीघा भूमि में वादी संख्या - 1 से 4 का 1/6 वाँ हिस्सा वादी संख्या 5 का 1/6 वाँ हिस्सा, वादी संख्या - 6 का 1/6 वाँ हिस्सा प्रतिवादी संख्या - 1 का 1/6 वाँ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/6 वाँ हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 वाँ हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जावे। अतः वादी वकील की बहस सुनने, पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने व वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र PW-1 से PW-4 का अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- लियागों की ढाणी पटवार मण्डल - हीरा की ढाणी तहसील - गिड़ा जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर - 249 रकबा - 38.12 बीघा भूमि में वादी संख्या 1 से 4 को 1/6 हिस्सा वादी संख्या - 5 को 1/6 हिस्सा	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

[...]ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (7)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व वादी संख्या-6 को 1/6 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Jud/Civil
Part IV-10

नक्कल व ता... अहकाम की ... हुक्म की तामील में जारी हुए

अंतिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

इजलास श्री डूंगराम चौहान RAS. पेमाराम बनाम नगाराम वगैरा

दावा बाबत रा० धारा 88, 53, 188 RTAct

मुकदमा नं. 24/17 सन् 2017

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलाई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

— मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा- सियागों की ढाणी पटवार मण्डल- हीरा की ढाणी तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 249 रकबा- 38.12 बीघा भूमि में वादी संख्या- 1 से 4 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या- 5 को 1/6 हिस्सा व वादी- 6 को 1/6 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना- अपना वहन करें।

कौम / मुबलिंग / बाबत /

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 07 20 18 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलक्टर (SDO) ... सत्यमेव जयते)

दस्तखत सहायक कलक्टर (SDO)
ओहदा बायतु

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

वादीगण

1. पेमाराम पुत्र तोगाराम
2. जोगाराम पुत्र तोगाराम
3. वालाराम पुत्र रायचंद
4. पुरख्याराम पुत्र रायचंद
5. श्रीरामाराम पुत्र सोनाराम
6. जेठाराम पुत्र डेवाराम

जाति- जाट निवासी- सियागों की ढाणी तहसील - गिड़ा जिला- बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. नगाराम पुत्र भगाराम
2. रूपाराम पुत्र भूराराम
3. बाबूराम पुत्र खेताराम
4. रामाराम पुत्र खेताराम
5. मु० पारू बेवा खेताराम
6. गोमाराम पुत्र डेवाराम

जाति- जाट निवासी- सियागों की ढाणी तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर

7. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा, सवाऊ पदमसिंह
8. श्रीमान तहसीलदार गिड़ा जिला- बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner